अनुदान संख्या 10 – कोयला मंत्रालय
GRANT No. 10–MINISTRY OF COAL

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**				
स्वीक त-	Voted–				
मूल	Original	205,71,00	337,50,00	305,50,30	–31,99,70
पूरक	Supplementary	131,79,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				1,80,47
पूंजीगत:	**Capital:**				
स्वीक त-	Voted–		30,00,00	26,48,91	–3,51,09
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				3,48,35

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, कुल बचतें (3199.70 लाख रु.) दिसंबर, 2006 और मार्च, 2007 में प्राप्त किए गए 13179.00 लाख रु. के पूरक अनुदान का 24 प्रतिशत और कुल स्वीक त प्रावधान का 9 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, the overall savings (Rs.3199.70 lakhs) constituted 24 percent of the supplementary grant of Rs.13179.00 lakhs obtained in December, 2006 and March, 2007 and 9 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "3451'' सचिवालय - आर्थिक सेवाएं	Major Head "3451" Secretariat – Economic Services				
मू.	O.	1079.00	687.57	668.59	–18.98
पु.	R.	–391.43			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष ''2803'' कोयला और लिग्नाइट	Major Head "2803" Coal and Lignite				
मू.	O.	15205.00			
पू.	S.	13128.00	27206.96	27206.71	–0.25
पु.	R.	–1126.04			
मुख्य शीर्ष ''2552'' उत्तर पूर्वी क्षेत्रा	Major Head "2552" North Eastern Areas				
मू.	O.	1687.00			
पू.	S.	1.00	3000.00	. .	–3000.00
पु.	R.	1312.00			

(I) 1.00 लाख रु. के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित 1688.00 लाख रु. का प्रावधान मुख्य शीर्ष ''2552'' - ''अन्य व्यय - पूर्वोत्तर क्षेत्रा और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों के लिए प्रावधान'' के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्रा में कोयला कंपनियों के पास कार्यान्वयन के लिए कोई स्कीम न होने के कारण एक मामले में पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of Rs.1688.00 lakhs including token supplementary grant of Rs.1.00 lakh remained wholly unutilised in one case under Major Head "2552" – "Other Expenditure – Provision for projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim" - due to non-existence of any scheme to be implemented in North Eastern Region by the coal companies.

(II) मुख्य शीर्ष ''2803'' - ''कोयला और लिग्नाइट कंपनियों को सहायता - कोयला पूरित क्षेत्रों में परिवहन संबंधी अवसरंचना के विकास के लिए उपकर (उत्पाद शुल्क) संग्रहण के लिए अदायगी'' के अंतर्गत 1.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 2693.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 2694.00 लाख रु. कर दिया गया) तथापि, जो वित्त मंत्रालय के मार्गनिर्देशों के अनुसार कुल योजना परिव्यय के 10 प्रतिशत के स्तर पर पूर्वोत्तर क्षेत्रा और सिक्किम के पूल में निधियों का अंतरण किए जाने के कारण 1313.00 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(II) Under Major Head "2803" - "Assistance to Coal and Lignite Companies - Payment against Collection of Cess (Excise Duty) towards Development of Transportation Infrastructure in Coal Field Areas" - the original provision of Rs.1.00 lakhs was augmented to Rs.2694.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.2693.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.1313.00 lakhs - due to transfer of funds to the pool of North Eastern Region and Sikkim as to keep it at the level of 10 percent of the total plan outlay as per guidelines of Ministry of Finance.

(III) मुख्य शीर्ष ''3451'' - ''सचिवालय - कोयला मंत्रालय'' के अंतर्गत 410.41 लाख रु. की बचत (1079.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के

(III) Under Major Head "3451" – "Secretariat – Ministry of Coal" - saving of Rs.410.41 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1079.00

न भरे जाने, छुट्टी यात्राा रियायत का लाभ प्राप्त न किए जाने, चिकित्सा दावों की कम प्राप्ति होने, आई.टी. स्कीमों को अंतिम रूप न दिए जाने, विदेशी यात्राा दौरों को मूर्तरूप न दिए जाने और ओ.ई.ए. के कारण हुई।

(IV) मुख्य शीर्ष "2803" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत भी हुईं:-

(क) "अनुसंधान और विकास - अन्य स्कीमें" - 1509.00 लाख रु. की बचत (2109.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)सवांग वाशरी में संयंत्रा की स्थापना में विलंब होने और उपस्कर की अधिप्राप्ति न किए जाने के कारण हुई।

(ख) "अन्य व्यय" -

(i) "क्षेत्रीय अन्वेषण" - 2000.00 लाख रु. की बचत (6000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वित्तीय वर्ष के पहली छमाही में धीमी गति से व्यय किए जाने के कारण हुई जिसके परिणामस्वरूप वित्त मंत्राालय द्वारा निधियों पर रोक लगा दी गई।

(ii) "पर्यावरणीय उपाय और अवतलन नियंत्राण" - 4790.00 लाख रु. की बचत (5590.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्कीमों के संशोधन और पुनर्वास समस्याओं की वजह से परियोजना को पूरा न किए जाने के कारण हुई।

2. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (8501.00 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसाकि मुख्य शीर्ष "2803" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत 131.28 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

(का) "कोयला और कोक पर उपकर (उत्पाद शुल्क) संग्रहण के लिए अदायगी" - 7571.00 लाख रु.।

(खा) "अन्य व्यय - विस्तृत तलभेदन" - 930.00 लाख रु.।

lakhs) was due to non-filling of vacant posts, non-availing of Leave Travel Concession, less receipt of medical claims, non-finalisation of I.T. schemes, non-materialisation of foreign travel tours and O.E.A.

(IV) Under Major Head "2803" – savings also occurred under the following heads:-

(a) "Research and Development – Other Schemes" - saving of Rs.1509.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2109.00 lakhs) was due to delay in installation of plant at Sawang Washery and non procurement of equipments.

(b) "Other Expenditure" -

(i) "Regional Exploration" – saving of Rs.2000.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.6000.00 lakhs) was due to poor pace of expenditure in the first six months of the financial year, resulting in freezing of funds by the Ministry of Finance.

(ii) "Environmental Measures and Subsidance Control" – saving of Rs.4790.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.5590.00 lakhs) was due to non-completion of the project owing to revision of schemes and rehabilitation problems.

2. The above savings were partly (Rs.8501.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grant of Rs.131.28 lakhs under Major Head "2803" under the following heads:-

(A) "Payment against Collection of Cess (Excise Duty) on Coal and Coke" - Rs.7571.00 lakhs.

(B) "Other Expenditure - Detailed Drilling" – Rs.930.00 lakhs.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचत निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुई:-

3. In the capital section of the grant, saving occurred under the following major head:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
मुख्य शीर्ष "4803" कोयला और लिग्नाइट पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4803" Capital Outlay on Coal and Lignite				
मू.	O.	3000.00	2651.65	2648.91	–2.74
पु.	R.	–348.35			

(I) "अन्य व्यय - कोयला वहन क्षेत्रों का अधिग्रहण'' - 351.09 लाख रु. की बचत (3000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोल इंडिया लिमिटेड कंपनी द्वारा किए गए व्यय के प्रतिपूर्ति दावों के प्राप्त न होने के कारण हुई।

(I) Under "Other Expenditure - Acquisition of Coal Bearing Areas" - saving of Rs.351.09 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.3000.00 lakhs) was due to non-receipt of reimbursement claims of expenditure incurred by Coal India Ltd. Company.

4. ***कोयला खान श्रमिक आवास तथा सामान्य कल्याण निधि:-***

कोयला खान कल्याण निधि अधिनियम, 1947 के अधीन कोयले और कोक के प्रेषण पर लगाए गए उपकर की प्राप्तियां शीर्ष "0038'' - "संघ उत्पाद शुल्क'' को क्रेडिट की जाती हैं तथा बजटीय आवंटन के माध्यम से कुछ राशि निधि को अंतरित कर दी जाती थी। यह अधिनियम पहली अक्तूबर, 1986 को निरस्त कर दिया गया है; तथापि, संपूर्ण राशि भारत की समेकित निधि को अंतरित नहीं की गई थी।

वर्ष 2006-07 के लिए निधि का लेखा निम्नानुसार था:-

4. ***Coal Mines Labour Housing and General Welfare Fund:-***

The proceeds of cess levied on the despatch of Coal and Coke under Coal Mines Welfare Fund Act, 1947 are credited to the head "0038" "Union Excise Duties" and some amount out of it was being transferred to the fund through budgetary allocation. The said Act has been repealed on 1st October, 1986, however, all the amounts were not transferred to Consolidated Fund of India.

The account of the fund for the year 2006–07 was as follows:-

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

अथशेष	Opening Balance	12,06,63
प्राप्तियां	Receipts	3
अदायगियां	Payments	9,60
अंतशेष	Closing Balance	11,97,06